

डिकी मुकदमा इबतदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

मुकदमा नम्बर 241/2021

तारीख रजू 11.06.2021

जीसीएमएस नं0 2021/241

उनवान

1. नरेन्द्र पुत्र रामखिलाडी जाति मीना निवासी बिनेगा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. दानसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति मीना निवासी बिनेगा तहसील हिण्डौन जिला करौली
— वादीगण

बनाम

1. नेतराम पुत्र बुद्धिराम जाति मीना निवासी बिनेगा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. सब रजिस्ट्रार श्रीमहावीरजी जिला करौली।
3. नायब तहसीलदार श्रीमहावीरजी जिला करौली।
— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 241/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री पी एल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा वर्तमान में कब्जा होने (एडवर्स पजेशन) के मौखिक तथ्यों के आधार पर पेश करने के कारण, पत्रावली पर इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण, तथा विवादित भूमि के संवीदा के प्रकरणों में संवीदा की पालना के बावत् केवल सिविल न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के कारण प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में मौखिक/स्टाम्प एग्रीमेन्ट से बेचान करने के आधार पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लेकर आया है ऐसी स्थिति वादी का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खिलाफ वादी/अप्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा दावा संख्या 241/2021 उनवानी नरेन्द्र बनाम नेतराम को इसी स्टेज पर रिजेक्ट कर खारिज किया जाता है एवं इससे संबंधित प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा से जारी दिनांक 11.06.2021 को भी निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.09.2024 को यह डिकी जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 18/9/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

